

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :- श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

नं. :- 65/2013

शिवचंद बनाम शीशराम वगै०

पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह काला की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 30.05.2025 को सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम हमीवास बजावा तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 10 रकबा 1.01 हेक्टर, खसरा नं. 11 रकबा 1.95 हेक्टर, खसरा नं. 71 रकबा 0.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.41 हेक्टर, खसरा नं. 95 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.13 हेक्टर कृषि भूमि मुताबिक विभाजन खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

आदेश डिक्री आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।



(Handwritten Signature)
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	3	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान	500	खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुकमनामा		बाबत इजराय हुकमनामा	
		मुतफरिक	
योग	505	योग	

(Handwritten Signature)
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
राज.